संख्या-94/2018/3130 ई-2/तेरह-2018-47/2003

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 अक्टूबर,2018

विषय:-मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर में पूर्व स्वीकृत क्षमता के अन्तर्गत 60 के0एल0पी0डी0 क्षमता के स्थान पर 120 के0एल0पी0डी0 क्षमता का ई0एन0ए0 प्लान्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-67/दो-प्रा0डी0-33, दिनांक 10 सितम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्र दिनांक 10 सितम्बर,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के औद्योगिक हित एवं राजस्व हित के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर में स्थापित 60 किलोली0 प्रतिदिन क्षमता के ई0एन0ए0 प्लान्ट को हटाकर उसके स्थान पर 120 किलोली0 प्रतिदिन क्षमता का ई0एन0ए0 प्लान्ट स्थापित किए जाने की अनुमति एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ई0एन0ए0 प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in